न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 108/2011

उनवान

1. कानाराम पुत्र सुखदेव
2. नानूराम पुत्र सुखदेव
3. अर्जुन पुत्र सुखदेव

   जातियान् माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र रूडा
2. औमप्रकाश पुत्र छीतर
3. कैलाश पुत्र छीतर
4. रामरतन पुत्र छीतर
5. बुद्धिप्रकाश पुत्र छीतर
6. राजू पुत्र लादू

   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 07.12.2021

पत्रावली पेश हुई। वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मोरीजा, पटवार हल्का मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमियां खसरा नम्बर 136 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 145 रकवा 0.40 है0, खसरा नम्बर 147 रकवा 0.01 है0, कुल किता 3 का कुल रकवा 0.51 हैक्टेयर भूमि स्थित है जो इस वाद में विवादित भूमि है। जिसे आगे के मदो में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

विवादित भूमि वादीगण की खातेदारी व स्वामित्व की भूमि है तथा सम्पूर्ण भूमि का वादीगण ही उपयोग उपभोग कर रहे है तथा सरकारी लगान अदा करते आ रहे है। खसरा नम्बर 145 व 136 के पश्चिमी सीमा के प्रतिवादीगण सीवजोड काश्तकार है जिनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 144, 137 है।

प्रतिवादीगण सं. 1 लगा0 6 वादीगण को आये दिन हैरान व परेशान करते है तथा सीमाओं के साथ छेडछाड करते है तथा पुख्ता निर्माण करने पर आमादा रहते है तथा प्रतिवादी सं. 7 के अधिनस्थ कर्मचारी प्रतिवादीगण सं. 1 लगा0 6 को नाजायज रूप से सहयोग करते है तथा कब्जे शुदा भूमि पर कब्जा करने पर आमादा रहते है तथा वर्तमान में भी प्रतिवादीगण की सीमाजोड बाजरे की फसल खडी है।

प्रतिवादीगण सं. 1 लगा0 6 दिनांक 24.06.2011 को साथ लेकर वादीगण की कब्जे काश्त की भूमि की सीमा पर आ गये व पत्थरों की ट्रोली बनवाना प्रारम्भ कर दिया, वादीगण ने कहा कि हमारे कब्जे काश्त की भूमि में निर्माण करने का अधिकार नहीं है जिस पर प्रतिवादीगण ने कहा कि हमारे पास लठ्ठ है निर्माण करके रहेंगे, जिससे वादीगण को वाद पत्र पेश करना [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 17:42:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद वादीगण इस कदर डिक्री फरमाई जावें :-

(क) प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 को जरिये जरिये [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जावे कि वह वादीगण को मद सं. 1 में वर्णित भूमि के उपयोग उपभोग में मजाहमत व मदादखल नहीं करें तथा वादीगण की भूमि की सीमाओं के साथ छेडछाड नहीं करें तथा ना ही कोई पुख्ता निर्माण करें, तथा ना ही बोर, खेजडे, बबूल, आंवले के पैडों को नुकसान कारित करें, ना हीं उक्त कार्यवाही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन से ही करवायें।

पत्रावली पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि के चारों और मिन प्रतिवादीगण ने तारबन्दी कर रखी हैं तथा वादीगण ने अपने हक व हिस्सो की भूमि के चारो ओर सीमाए महदूद कर रखी हैं जो अर्से दराज से स्थित हैं तथा मिन प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में खसरा नम्बर 135, 137, 138, 139, 143, 144, 150 की भूमि स्थित हैं जिस पर मिन प्रतिवादीगण ने अर्से दराज से कुआ, बोरिंग, खामघर, पशु बाडे आदि बनाकर बतौर खातेदार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

वादीगण शुरू से ही झगडालू व बदमाश प्रकृति के व्यक्ति हैं जो मिन प्रतिवादीगण की सींव जोड पर आये दिन अनाधिकृत प्रवेश कर तोडफोड कर कब्जा करने का प्रयास करते रहते हैं, मिन प्रतिवादीगण के काफी प्रयासों के बावजूद वादीगण अपनी हरकतों से बाज नही आ रहे हैं तथा मिन प्रतिवादीगण की सीमा में छेडछाड कर कब्जा करने का प्रयास करते हैं वादीगण ने समस्त तथ्यों को छुपाते हुये उक्त वाद पेश किया हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

वादीगण ने उक्त वाद बिना किसी हक अधिकार के बदनियतिवश पैश किया है, जबकि मिन प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी भूमि के चारो और तारबन्दी कर अपनी खातेदारी भूमि में पुख्ता मकानात, खाम छप्पर पोश, चाराग्रह, कुआ बोरिंग आदि बनाकर अपने नाम से विधुत कनेक्शन लेकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा अपनी खातेदारी भूमि में करीब 70–80 बैर के पैड व 100–1500 आंवले के पैड व अन्य फलदार वृक्ष आदि लगाकर अर्से दराज से उपयोग उपभोग कर रहे हैं, वादीगण ने मौका स्थिति को छुपाते हुये झुठे तथ्यों के आधार पर उक्त वाद पेश किया हैं जो खारिज किये जाने योग्य हैं।

वादीगण द्वारा दौराने दावा ही मिन प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में दिनांक 05–11–2012 को अवैध रूप से प्रवेश कर तारबन्दी को तोड दी थीं तथा ट्रेक्टर ट्रोली से पत्थर आदि डालकर नाजायज कब्जा करने का प्रयास किया था जिस बाबत मिन प्रतिवादीगण ने न्यायालय में चारा जोही की थी तथा पुलिस थाना सामोद में 245/11 अन्तर्गत धारा 147, 447, 427, 323, 379 में दर्ज करवाया था जिसमें न्यायालय ने वादीगण को प्रथम दृष्ट्या दोषि मानते हुये प्रसंज्ञान लिया था जो न्यायालय में विचाराधीन हैं।

वादीगण ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष मनगढंत तथ्यों के आधार पर 151 का प्रार्थना पत्र पालना करवाये जाने यथास्थिति आदेश पैश किया था जिस पर भी न्यायालय श्रीमान ने मौके की वास्तविक स्थिति व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रतिवादीगण का पक्ष सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जा चूका हैं।

अतः जबाब वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् जी से निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र झूठा व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर व मौके की स्थिति से विपरित होने से खारिज फरमाये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 17:42:17 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प कोर्ट मोरीजा में पेश हुई। वादीगण एंव प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हैं। पत्रावली एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण एंव प्रतिवादीगण को सुना गया। प्रकरण में तथ्य एवं परिस्थितियों अनुसार वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद वादपत्र अनुसार डिक्री किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.01 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोरीजा, पटवार हल्का मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण

अतिक्रमण नहीं करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को इस बाबत सख्त पाबन्द किया जावे। डिक्री जारी हो। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमू को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2021 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 17:42:17 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राहुल जैन (I.A.S)

उनवान

1. कानाराम पुत्र सुखदेव
2. नानूराम पुत्र सुखदेव
3. अर्जुन पुत्र सुखदेव
   जातियान् माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र रूडा
2. औमप्रकाश पुत्र छीतर
3. कैलाश पुत्र छीतर
4. रामरतन पुत्र छीतर
5. बुद्धिप्रकाश पुत्र छीतर
6. राजू पुत्र लादू
   समस्त जाति माली, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :–108 / 2011

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तथा विवादित भूमि खसरा नम्बर 136 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 145 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.01 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोरीजा, पटवार हल्का मोरीजा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें तथा साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। डिकी की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.12.2021 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

मोहर

(राहुल जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 17:42:17 IST
Reason: SelfAttested